“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 अप्रैल 2016 — वैशाख 8, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-123/तीन (दो)/न. पा./व्यय लेखा/2015/560 रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

श्री नरेश चंद यादव, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पालिक निगम, जगदलपुर, जिला बस्तर, छ. ग.

आदेश

(छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 23 अप्रैल 2016

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) बस्तर के प्रतिवेदन दिनांक 12 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम जगदलपुर के महापौर पद के लिये आम निर्वाचन में कुल 5 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) बस्तर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 12 फरवरी, 2015 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया है कि नगर पालिक निगम जगदलपुर के आम निर्वाचन 2014 में महापौर पद के अभ्यर्थी श्री नरेश चंद यादव द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बस्तर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री नरेश चंद यादव को दिनांक 13 मई 2015 को अधिनियम की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-क एवं 14-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 14-ग के अन्तर्गत कार्यवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. अभ्यर्थी श्री नरेश चंद यादव द्वारा कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में दिनांक 8 जून 2015 को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया कि कारण बताओ सूचना उनको दिनांक 27 मई 2015 को प्राप्त हुआ. उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 3-2-2015 को लेखा प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय में विलंब से पहुंचने के कारण संबंधित अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित अधिकारी से विशेष अनुरोध कर दिनांक 4 फरवरी 2015 को व्यय लेखा दाखिल कर पाये. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) बस्तर का अभिमत प्राप्त किया गया.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) बस्तर ने पत्र क्रमांक 1701, दिनांक 7 अगस्त 2015 द्वारा यह अवगत कराया गया कि अभ्यर्थी द्वारा अपने जवाब में दिनांक 3 फरवरी 2015 को कार्यालय विलंब से पहुंचने के कारण व्यय लेखा दिनांक 4 फरवरी 2015 को दाखिल कर पाने का उल्लेख किया गया है. अभ्यर्थी द्वारा एक दिवस विलंब से व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है जिसे उनके द्वारा स्वत: स्वीकार किया गया है, अतएव अभ्यर्थी नरेश चंद यादव द्वारा प्रस्तुत जवाब को मान्य किया जा सकता है. इस पर अभ्यर्थी को समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 28 नवंबर 2015 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया तथा उनका शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. अभ्यर्थी द्वारा शपथपूर्वक बयान में कथन किया गया कि दिनांक 3 फरवरी 2015 को विलंब से जिला कार्यालय पहुंचने तथा संबंधित अधिकारी के चले जा चुकने के कारण वे दिनांक 4 फरवरी 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर पाये. अतएव निर्वाचन व्यय लेखा को समयावधि में प्रस्तुत करना मान्य किये जाने का निवेदन किया गया.

4. प्रकरण से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) बस्तर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी नरेश चंद यादव ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 14-क (1) निम्नानुसार है :

"**14-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा.-** (1) महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 14-क (1) की अपेक्षानुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 14-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 14-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना.**-महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 14-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से तीस दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) बस्तर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम जगदलपुर के महापौर पद के आम निर्वाचन 2014 के अभ्यर्थी श्री नरेश चंद यादव द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से निर्धारित अवधि में अर्थात् 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत नहीं किया. अभ्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 3 फरवरी 2015 को विलंब से जिला कार्यालय पहुंचने तथा संबंधित अधिकारी के चले जा चुकने के कारण वे दिनांक 4 फरवरी 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर पाये. अभ्यर्थी ने अपने शपथपूर्वक कथन में भी कोई समाधानकारक दलील प्रस्तुत न कर उपरोक्त बात को ही दोहराया. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी श्री नरेश चंद यादव प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहा है तथा अभ्यर्थी इस असफलता के लिये उपयुक्त कारण एवं न्यायोचित्यता नहीं रखता है. तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी श्री नरेश चंद यादव को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहीत रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उसे इस आदेश की तारीख से चार वर्ष एवं आठ माह की कालावधि के लिये नगर पालिक निगम का महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 23 अप्रैल, 2016 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.